न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :– 655/2023–24

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा – 46)

खेदु मुण्डा..............................आवेदक/विक्रेता } प्रथम पक्ष

सुशीला खलखो.......................................क्रेता

बनाम्

राज्य सरकार.......................................द्वितीय पक्ष

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
17.03.2024	**आदेश**	

आवेदक खेदु मुण्डा पिता स्व0 धाधू मुण्डा ग्राम–एरेण्डा, पो0–बिरहू, थाना–खूँटी, जिला–खूँटी के द्वारा निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु (online) आवेदन किया गया है:–

भूमि का विवरण

ग्राम	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा सं0	रकबा(एकड़ में)
एरेण्डा	240	33	13	0.10

आवेदक के द्वारा समर्पित किये गये आवेदन पत्र के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि आवेदक खेदु मुण्डा पिता स्व0 धाधू मुण्डा ग्राम–एरेण्डा, पो0–बिरहू, थाना–खूँटी, जिला–खूँटी को मकान निर्माण कार्य हेतु राशि की आवश्यकता है जिस कारण उनके द्वारा प्रश्नगत भूमि को क्रेता सुशीला खलखो पति अशोक मिंज ग्राम–बिरहू, पो0–बिरहू, थाना–खूँटी, जिला–खूँटी को बिक्री करना चाहते है।

आवेदक अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना खूँटी के निवासी हैं एंव एक ही जाति (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे में है, को मकान निर्माण कार्य हेतु बिक्री करना चाहते हैं। साक्ष्य के रूप में उनके द्वारा आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं खतियान की छाया प्रति तथा लगान की रसीद सं0 0882904689 की छाया प्रति उनके द्वारा प्रस्तुत की गई।

उपरोक्त अनुमति वाद के आलोक में आम नोटिस निर्गत किया गया। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। उक्त भूमि की बिक्री में किसी के द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गई है। अंचल अधिकारी, खूँटी के पत्रांक 233 दिनांक 05.03.2024 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी, खूँटी के द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि प्रश्नगत भूमि आवेदक की खरीदगी

भूमि है। खतियानी रैयत का नाम जीरात नाम पाने वाला भीखम भगत है। आवेदक पंजी II रैयतों मे से एक के पोता है। प्रश्नगत भूमि की ऑनलाईन पंजी II के भाग सं0 1 के पृष्ट सं0 135 पर जमाबंदी दर्ज है।

अंचल अधिकारी, खूँटी के जाँच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जनजाति के सदस्य है एवं एक ही थाना के निवासी है। विक्रेता एवं क्रेता दोनों की ओर से एक थाना के निवासी होने एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्य होने के प्रमाण में शपथ पत्र संख्या 355 दिनांक 08.02.2024 के साथ अंचल अधिकारी, मुरहू के द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र सं0– JHCST/2023/234065 दिनांक 11.07.2023 वो अनुमण्डल पदाधिकारी, खूँटी द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र सं0– JHRC/2023/382998 दिनांक 08.12.2024 एवं आधार कार्ड की छायाप्रति दाखिल किया गया है, जो अभिलेख के साथ संलग्न है। उपरोक्त प्रमाण पत्रों के अवलोकन से प्रतीत होता है कि बिक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जनजाति के सदस्य है तथा एक ही थाना के निवासी है। अंचल अधिकारी, खूँटी ने आवेदित भूमि की बिक्री हेतु अनुशंसा किया है।

अतः अंचल अधिकारी, खूँटी के पत्रांक 233 दिनांक 05.03.2024 के माध्यम से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन तथा अनुशंसा एवं अभिलेख के साथ संलग्न कागजातों के आधार पर आवेदक खेदु मुण्डा पिता स्व0 धाधू मुण्डा ग्राम–एरेण्डा, पो0–बिरहू, थाना–खूँटी, जिला–खूँटी को क्रेता सुशीला खलखो पति अशोक मिंज ग्राम–बिरहू, पो0–बिरहू, थाना–खूँटी, जिला–खूँटी के साथ ग्राम एरेण्डा के खाता सं0 33, खेसरा संख्या 13, कुल रकबा 0.10 एकड़ भूमि को बाजार दर या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है।

इस आदेश से अन्य अंशदार या हिस्सेदार का हक प्रभावित नहीं होगा।

लेखापित एवं संशोधित

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
खूँटी।

17/04/24

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
खूँटी।

Digitally signed by Emart
Date: 2024.04.20 15:30:15 +05:30
Location: 192.168.1.104